राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक/प्रस्था/विविध/2015/ 2201-59 जयपुर, दिनांकः 9/2/17

कार्यालय आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष डीबी सिविल रिट (पी.आईएल.) सं. 20183/2013 योगेश कुमार शर्मा व बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, जनहित याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2016 को पारित आदेश की अनुपालना में वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के आदेश क्रमांक : प8(10)वित्त/नियम/ 2009 दिनांक 30 जनवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गए हैं:–

"राजकीय सेवा में सेवारत पति–पत्नी जो एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित हैं तथा एक ही मकान में रहते हों तो, उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनों में से जिसका अधिक हो, आहरित किया जावे। इस संबंध में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा राजस्थान मकान किराया भत्ता नियम, 1989 के Annexure-B के प्रमाण–पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप से प्राप्त किया जावे।

यदि माह जनवरी 2017 के वेतन में दोहरे मकान किराया भत्ता का आहरण किसी राजसेवक द्वारा कर लिया गया है तो उसका समायोजन आगामी माह के वेतन में एक मुश्त किया जावे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.12.2016 के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले आदेश/ निर्णय के अध्यधीन है।"

निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सभी आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।

2201-59
9/2/2017

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त शाखा अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर।
2. प्रभारी, समस्त अधीनस्थ जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय।
3. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय–जयपुर एवं समस्त अधीनस्थ जिला जनसंपर्क कार्यालय।
4. लेखा शाखा (बजट/भुगतान), सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)